



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड—27] रुड़की, शनिवार, दिनांक 30 मई, 2026 ई0 (ज्येष्ठ 09, 1948 शक सम्वत्) [संख्या—22

विषय—सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य ...	—	रु0 3075
भाग 1—विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	303—307	1500
भाग 1—क—नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	141—144	1500
भाग 2—आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण ...	—	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 6—बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट ...	—	975
भाग 7—इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ...	—	975
भाग 8—सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	—	975
स्टोर्स पर्वेज—स्टोर्स पर्वेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

न्याय अनुभाग—1

अधिसूचना
नियुक्ति

29 अप्रैल, 2026 ई०

संख्या— 08 नो—ए/XXXVI-A-1/2026— 06 नो—ए/2010—श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या—53, सन् 1952) की धारा—3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्रीमती ममता तोमर, अधिवक्ता को दिनांक 29-04-2026 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला देहरादून की तहसील विकासनगर में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम—8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्रीमती ममता तोमर का नाम उक्त अधिनियम की धारा—4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of Notification No. 08 No-A/XXXVI-A-1/2026-06 No-A/2010, Dated April 29, 2026

NOTIFICATION

Appointment

April 29, 2026

No. 08 No-A/XXXVI-A-1/2026-06 No-A/2010—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No-53 of 1952), the Governor is pleased to appoint **Mrs. Mamta Tomar, Advocate** as Notary for a period of five years with effect from 29-04-2026 for **Tehsil Vikasnagar, District Dehradun** and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of **Mrs. Mamta Tomar** be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

अधिसूचना
नियुक्ति

29 अप्रैल, 2026 ई०

संख्या— 09 नो—ए/XXXVI-A-1/2026— 06 नो—ए/2010—श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या—53, सन् 1952) की धारा—3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री सुमिन्द्र सिंह, अधिवक्ता को दिनांक 29-04-2026 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला देहरादून की तहसील विकासनगर में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम—8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री सुमिन्द्र सिंह का नाम उक्त अधिनियम की धारा—4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of Notification No. 09 No-A/XXXVI-A-1/2026-06 No-A/2010, Dated April 29, 2026

NOTIFICATION

Appointment

April 29, 2026

No. 09 No-A/XXXVI-A-1/2026-06 No-A/2010--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No-53 of 1952), the Governor is pleased to appoint **Mr. Sumindra Singh, Advocate** as Notary for a period of five years with effect from 29-04-2026 for **Tehsil Vikasnagar, District Dehradun** and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of **Mr. Sumindra Singh** be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

अधिसूचना
नियुक्ति

29 अप्रैल, 2026 ई0

संख्या— 10 नो—ए/XXXVI-A-1/2026— 06 नो—ए/2010—श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या—53, सन् 1952) की धारा—3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्रीमती सुनीता रानी, अधिवक्ता को दिनांक 29-04-2026 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला देहरादून की तहसील विकासनगर में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम—8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्रीमती सुनीता रानी का नाम उक्त अधिनियम की धारा—4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of Notification No. 10 No-A/XXXVI-A-1/2026-06 No-A/2010, Dated April 29, 2026

NOTIFICATION

Appointment

April 29, 2026

No. 10 No-A/XXXVI-A-1/2026-06 No-A/2010--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No-53 of 1952), the Governor is pleased to appoint **Mrs. Sunita Rani, Advocate** as Notary for a period of five years with effect from 29-04-2026 for **Tehsil Vikasnagar, District Dehradun** and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of **Mrs. Sunita Rani** be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

अधिसूचनानियुक्ति

29 अप्रैल, 2026 ई0

संख्या— 16 नो-बी /XXXVI-A-1 / 2026-49 / 2009—श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या—53, सन् 1952) की धारा—3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री यशवंत सिंह आर्य, अधिवक्ता को दिनांक 29-04-2026 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला हरिद्वार की तहसील रुड़की में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम—8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री यशवंत सिंह आर्य का नाम उक्त अधिनियम की धारा—4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

आज्ञा से,

अमित कुमार सिरौही,

प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of Notification No. 16 No-B/XXXVI-A-1/2026-49/2009, Dated April 29, 2026

NOTIFICATION

Appointment

April 29, 2026

No. 16 No-B/XXXVI-A-1/2026-49/2009--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No-53 of 1952), the Governor is pleased to appoint **Mr. Yashwant Singh Arya, Advocate** as Notary for a period of five years with effect from 29-04-2026 for **Tehsil Roorkee, District Haridwar** and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of **Mr. Yashwant Singh Arya** be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

By Order,

AMIT KUMAR SIROHI,

Principal Secretary, Law-cum-L.R.

श्रम अनुभाग

अधिसूचना

06 जनवरी, 2026 ई0

संख्या— 359025 / VIII-1 / 2026— 70(श्रम)2001 पार्ट-II, (Comp no 64303)—रजिस्ट्रार जनरल, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के पत्र संख्या:—47 / XIII-f-1 / Admin.A-2 / 2010, दिनांक 5 जनवरी, 2026 के क्रम में उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 वर्ष, 1947) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) के अधीन श्रमिकों के विवादों के निस्तारण करने हेतु उत्तर प्रदेश श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण अधिकारी (नियुक्ति और नियोजन की शर्तें) नियमावली-1996 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) एवं उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम- 2000 की धारा-89 के अन्तर्गत न्यायाधीश श्री राहुल गर्ग को श्रम न्यायालय, हरिद्वार में पीठासीन अधिकारी के रूप में प्रचलित सामान्य शर्तों के अधीन नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

विनीत कुमार,

अपर सचिव।

कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग-1

कार्यालय-ज्ञाप

10 अप्रैल, 2026 ई0

संख्या— 386470 / ई-84267 / XIII-1 / 2026—03(2)2003—एतद्वारा उत्तराखण्ड कृषि विभागान्तर्गत संयुक्त कृषि निदेशक वेतन मैट्रिक्स रु0 78,800—2,09,200, लेवल-12 के पद पर कार्यरत श्री दिनेश कुमार की नियमित चयनोपरान्त कृषि निदेशक वेतन मैट्रिक्स रु0 144200—218200, लेवल-15 के रिक्त पद पर नियमित पदोन्नति करते हुए, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. अतः सम्बन्धित अधिकारी तत्काल अपना कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,

डॉ0 आनन्द श्रीवास्तव,

अपर सचिव।

वन अनुभाग-1

विज्ञप्ति/सेवानिवृत्ति

08 अप्रैल, 2026 ई0

संख्या—643 / X-1-2026-14(03)/2022-E-14586—श्री रंजन कुमार मिश्र, भा0व0से0, प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून, जिनकी जन्मतिथि 01.07.1966 (एक जुलाई सन् उन्नीस सौ छियासठ) है, 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 30.06.2026 के अपरान्ह को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेंगे।

मुकेश कुमार राय,

संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 22 हिन्दी गजट/146-भाग 1-2026 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 30 मई, 2026 ई0 (ज्येष्ठ 09 , 1948 शक सम्वत्)

भाग 1—क

नियम, कार्य—विधियां, आज़ाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

April 16, 2026

No.131/XIV-71/Admin.A/2003--Ms. Neena Aggarwal, Judge, Family Court, Almora is hereby sanctioned child care leave for 20 days w.e.f. 09.02.2026 to 28.02.2026 with permission to prefix 08.02.2026 as Sunday holiday and suffix 01.03.2026 to 04.03.2026 as Sunday, local and Holi holidays respectively.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

April 16, 2026

No.132/XIV-a/58/Admin.A/2012--Ms. Neha Qayyum, 2nd additional Civil Judge, (Sr. Div.), Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 13 days w.e.f. 10.11.2025 to 22.11.2025 with permission to prefix 08.11.2025 & 09.11.2025 as second Saturday and Sunday holiday and suffix 23.11.2025 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Administration Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITALNOTIFICATION*April 18, 2026*

No.133/UHC/Admin.A-2/2026--In partial modification of Notification No. 54/UHC/Admin.A-2/2026 dated 15.04.2026, Shri Ambika Pant, 1st Additional District & Sessions Judge, Roorkee, District Haridwar, who was transferred and posted as F.T.C./Additional District & Sessions Judge, POCSO, Udham Singh Nagar (to be effective from 20.04.2026), shall continue to remain posted at his present place of posting (Roorkee).

No.134/UHC/Admin.A-2/2026--Ms. Anita Gunjiyal, Additional Principal Judge, Family Court, Udham Singh Nagar is repatriated and posted as F.T.C./Additional District & Sessions Judge, POCSO, Udham Singh Nagar, vice Shri Ashwini Gaur.

Note:

- (A) In partial modification of Notification No. 55/UHC/Admin.A-2/2026 dated 15.04.2026, whereby, Ms. Reena Negi, Additional District & Sessions Judge, Kotdwar, District Pauri Garhwal was transferred and posted as 1st Additional District & Sessions Judge, Roorkee, District Haridwar is now recommended for her posting as Registrar, State Consumer Disputes Redressal Commission, Uttarakhand, Dehradun.

All above orders shall come into force from 20.04.2026.

By Order of the Court,

Sd/-

YOGESH KUMAR GUPTA,

Registrar General.

NOTIFICATION*April 20, 2026*

No.139/UHC/Admin.A-2/2026--Shri Dharmendra Singh Adhikari, 2nd Additional District & Sessions Judge, Haldwani, District Nainital is hereby attached with the High Court of Uttarakhand, Nainital, as Officer on Special Duty (OSD), w.e.f. 20.04.2026. He is also directed not to hand over the charge of the Court of 2nd Additional District & Sessions Judge, Haldwani, District Nainital, until further orders.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-

SUBIR KUMAR,

Registrar (Vigilance)

For Registrar General.

UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY,
HIGH COURT CAMPUS, NAINITAL

NOTIFICATION

April 17, 2026

No.910/III(1)-B-2009-10/SLSA/2026--Smt. Parul Gairola, Chairman, Permanent Lok Adalat, Dehradun is hereby sanctioned **Child Care Leave for a period of 16 days w.e.f. 05.03.2026 to 20.03.2026** with permission to prefix 03.03.2026 and 04.03.2026 as Holi holidays and suffix 21.03.2026 and 22.03.2026 as Id-ul-Fitr and Sunday holidays respectively in light of the Office Memorandum No. 11/xxvii(7)34/2011, dated 30.05.2011 issued by Govt. of Uttarakhand.

NOTIFICATION

April 17, 2026

No.912/III-A-05/SLSA/2026--Smt. Seema Dungrakoti, Secretary, District Legal Services Authority, Dehradun is hereby sanctioned **Child Care Leave for a period of 19 days w.e.f. 02.03.2026 to 20.03.2026** with permission to prefix 01.03.2026 Sunday holiday and suffix 21.03.2026 and 22.03.2026 as Id-ul-Fitr and Sunday holidays respectively in light of the Office Memorandum No. 11/xxvii(7)34/2011, dated 30.05.2011 issued by Govt. of Uttarakhand.

NOTIFICATION

April 17, 2026

No.914/III-A-06/SLSA/2026--Smt. Simranjit Kaur, Secretary, District Legal Services Authority, Haridwar is hereby sanctioned **Child Care Leave for a period of 21 days w.e.f. 05.03.2026 to 25.03.2026** in light of the Office Memorandum No. 11/xxvii(7)34/2011, dated 30.05.2011 issued by Govt. of Uttarakhand.

NOTIFICATION

April 21, 2026

No.1002/III-A-02/2026/SLSA--Ms. Anita Kumari, Secretary, District Legal Services Authority, Bageshwar is hereby sanctioned **earned leave for a period of 30 days w.e.f. 12.03.2026 to 10.04.2026** with permission to suffix 11.04.2026 and 12.04.2026 as second Saturday and Sunday holidays respectively.

By Order of the Hon'ble Executive Chairman,
Sd/-

PRADEEP KUMAR MANI,

Member Secretary.

कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी

टनकपुर (चम्पावत)

कार्यालयादेश

25 अप्रैल, 2026 ई0

पत्रांक-0498 / निलम्बन / 2026—वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जनसुरक्षा के दृष्टिगत हेलमेट/ओवरलोडिंग/ओवरस्पीड/मोबाइल का प्रयोग/शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगों में संलिप्त वाहन चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को निरहित (माह अप्रैल, 26) निम्न अवधि तक मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है—

क्र. स.	लाइसेन्स धारक का नाम व पता	लाइसेन्ससंख्या / श्रेणी एवंवैधता	संस्तुतिकर्ता अधिकारी	अभियोग	निलम्बनावधि
1	श्री चन्द्र बल्लभ भट्ट पुत्र श्री जीवानन्द भट्ट, ग्राम बजौन, जनपद चम्पावत।	UK-0320160032881	प्रवर्तन दल, टनकपुर	भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना।	दिनांक 25.04.2026 से दिनांक 24.07.2026 तक
2	श्री भगवान सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह, बनकटिया, पोस्ट श्रीपुर, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर।	UK-0320160031523	प्रवर्तन दल, टनकपुर	नशे की हालत में वाहन का संचालन करना।	दिनांक 25.04.2026 से दिनांक 24.10.2026 तक
3	श्री अबधेश कुमार पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण, ग्राम बनोसा, बिठौरा कलान, गजरौला, पीलीभीत, उ.प्र.।	UP-2620080066760	प्रवर्तन दल, टनकपुर	नशे की हालत में वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
4	कृ. दीपाली पुत्री श्री राजेन्द्र प्रसाद, म.न. 59, नायकगोठ, टनकपुर, जनपद चम्पावत।	UK0320170034818	प्रवर्तन दल, टनकपुर	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	दिनांक 25.04.2026 से दिनांक 24.07.2026 तक
5	श्री एहसान उल हक श्री इरफान उल हक, उमरूखुर्द आंशिक, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर।	UK-0320130015090	प्रवर्तन दल, टनकपुर	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
6	श्री चन्द्र बल्लभ पुत्र श्री दुर्गा दत्त, ग्राम बगेड़ी, धौन, जनपद चम्पावत।	UK-0320260001497	प्रवर्तन दल, टनकपुर	बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।	उपरोक्तानुसार
7	श्री रामकिशन पुत्र श्री शिवपाल, ग्राम चौगनपुर, थाना मैगल गंज, चौगनपुर, मोहम्मदी, खीरी, उ.प्र.।	UP-3120180012689	प्रवर्तन दल, टनकपुर	सवारी वाहन में क्षमता से अधिक सवारी ले जाना।	दिनांक 25.04.2026 से दिनांक 24.05.2026 तक

सुरेन्द्र कुमार,
लाइसेंसिंग अथॉरिटी,
टनकपुर चम्पावत